कक्षा 10 के छात्र/छात्राओं में सीखने की कठिनाइयों
(Learning difficulties) को दूर करने हेतु

प्रेरणा

Revision Notes

अर्थशास्त्र

राज्य शिक्षा–शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, पटना द्वारा विकसित

विषय–सूची

अध्याय 1	अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास
अध्याय 2	राज्य एवं राष्ट्र की आय
अध्याय 3	मुद्रा, बचत एवं साख
अध्याय 4	हमारी वित्तीय संस्थाएँ
अध्याय 5	रोजगार और सेवाएँ
अध्याय 6	वैश्वीकरण
अध्याय 7	उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण

अध्याय–1

अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास

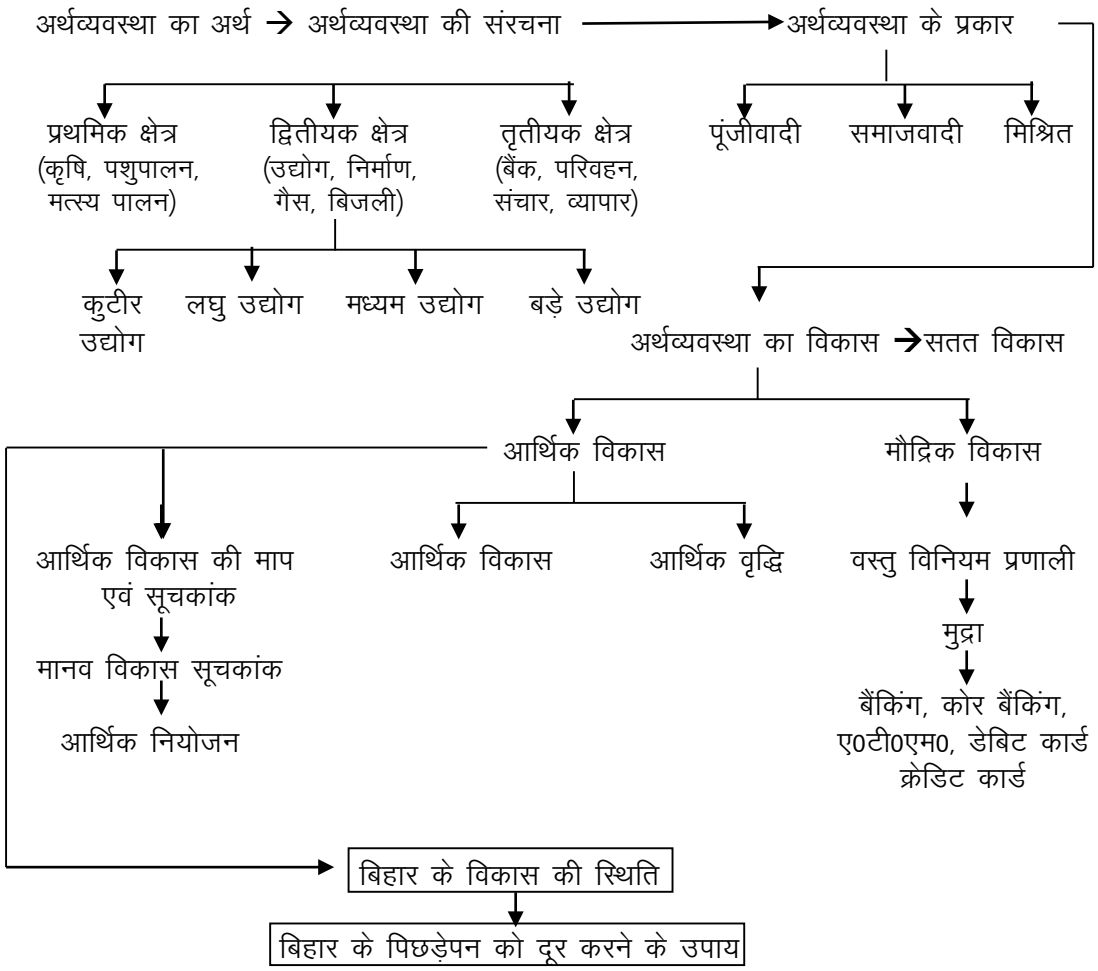

अर्थव्यवस्था का अर्थ :

अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है।

हमारी वे सभी क्रियाएँ, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे – कृषि एक आर्थिक क्रिया है, जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है।

अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है।

अर्थव्यवस्था की संरचना :

उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है :

1. **प्राथमिक क्षेत्र**
    - जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
    - अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हम कृषि, डेयरी (पशुपालन), मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं।

2. **द्वितीयक क्षेत्र**
    - यहाँ वस्तुएँ सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है।
    - निर्माण की यह प्रक्रिया घर, कार्यशाला, अथवा कारखानों में होती है। अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं।
    - औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल किये जाते हैं।

3. **तृतीयक क्षेत्र**
    - यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करती है।
    - इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन (आवागमन के साधन), संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाएँ आती हैं। अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।

अर्थव्यवस्था के प्रकार :

- उत्पादन के साधनों के स्वामित्व (मालिकाना हक) के आधार पर पूरे विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
- (उत्पादन के साधन – भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस)
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था – उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
- समाजवादी अर्थव्यवस्था – उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए किया जाता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था – उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। यह व्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्था का मिश्रण है।

अर्थव्यवस्था का विकास :

आर्थिक विकास का मुख्य उद्धेश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अर्थात् प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर ऊँचा करना है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया है।

आर्थिक विकास	आर्थिक वृद्धि
• आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। • आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रूक–रूक कर परिवर्त्तन आते हैं। • आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्त्तन होता है।	• आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास संबंधित अवधारणा है। • आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है। • आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है।

मौद्रिक विकास :

- मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल करते हैं।
- मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था।
- वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता था और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी।
- आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा जैसे ए0 टी0 एम0 एवं क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है।
- ATM — Automated Teller Machine
- जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन–देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को 'कोर बैंकिंग प्रणाली' कहते हैं।

आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक :

- **राष्ट्रीय आय :** किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
- **प्रति व्यक्ति आय :** राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय / कुल जनसंख्या।
- **मानव विकास सूचकांक (Human Development Index)**
- UNDP – United Nations Development Programme
- HDR – Human Development Reprort

- मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। HDI = जीवन आशा सूचकांक + शिक्षा प्राप्ति सूचकांक + जीवन स्तर सूचकांक का औसत। HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की HDI दर शून्य से एक होती है।

आर्थिक नियोजन :

- राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है।
- इन योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है।
- योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी।
- भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
- NITI – National Institute for Transforming India (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
- राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council NDC) – NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते है।

आधारिक संरचना :

- वे सभी तत्व जैसे, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज अस्पताल आदि जो देश के आर्थिक विकास का आधार है, आधारिक संरचना कहलाते हैं।

बिहार के विकास की स्थिति :

आधारिक संरचना के विकास की दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएँ दोनों ही बहुत कमजोर एवं निम्न स्तर की हैं, जिसके पिछड़ेपन के निम्नांकित कारण हैं :

(i) तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या
(ii) आधारिक संरचना का अभाव
(iii) कृषि पर निर्भरता
(iv) बाढ़ तथा सूखा से क्षति
(v) औद्योगिक पिछड़ापन
(vi) गरीबी
(vii) खराब विधि व्यवस्था
(viii) कुशल प्रशासन का अभाव

बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय :

- जनसंख्या पर नियंत्रण
- कृषि का तेजी से विकास
- बाढ़ पर नियंत्रण
- आधारिक संरचना का विकास
- उद्योगों का विकास
- गरीबी दूर करना
- शांति व्यवस्था की स्थापना
- स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन
- केन्द्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण
- बिहार के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि एवं कृषि जन्य उद्योगों के विकास से राज्य एवं भारत देश का विकास संभव हो सकता है।

सतत् विकास :

विकास की वह प्रक्रिया, जिसमें वर्त्तमान की आवश्यकताएँ बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं से समझौता किये पूरी की जाती है।

समावेशी विकास (Inclusive growth) :

आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्णों का जीवन–स्तर ऊँचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी (Inclusive growth) कहा जाता है।

◆◆◆

अध्याय–2

राज्य एवं राष्ट्र की आय

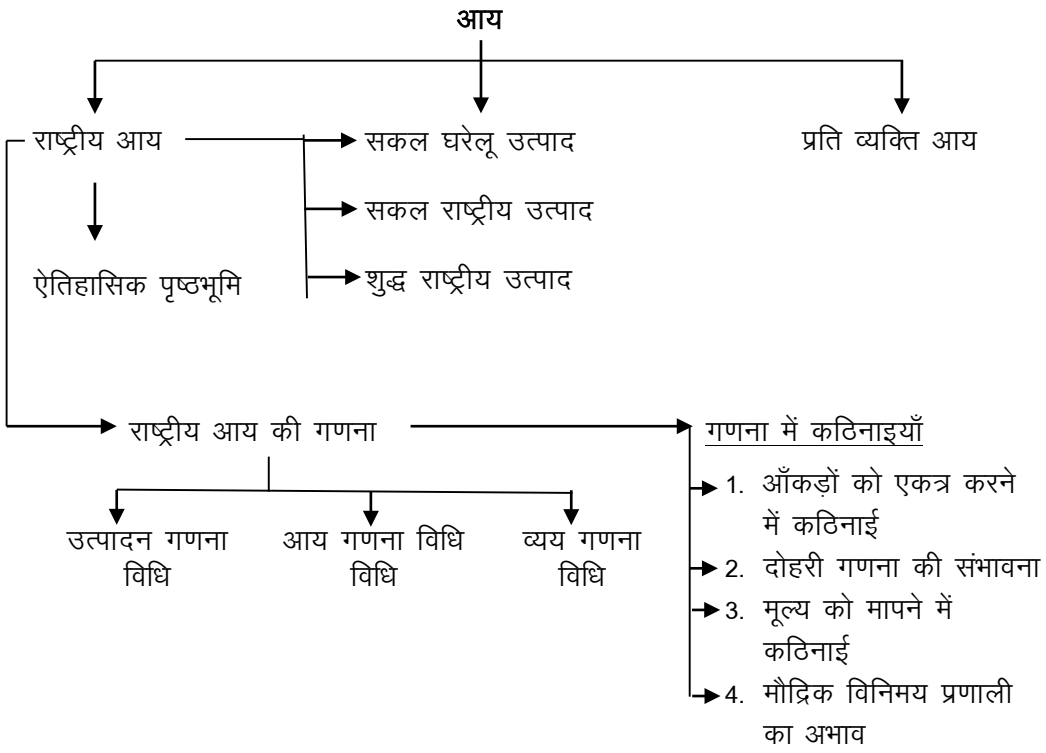

आय (Income) :

- लोगों को अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा वस्तु प्राप्त होती है, उसे उनकी आय कहते हैं।
- लोगों की आय के द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जता है।
- राष्ट्रीय आय (National Income) :
- देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आयों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। चाहे वे देश में प्राप्त किए हों या विदेशों में जाकर प्राप्त किए हों।
- किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है।

भारत का राष्ट्रीय आय – ऐतिहासिक परिवेश

- भारत में सबसे पहले 1868 ई0 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था।
- उन्होंने अपनी पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में प्रति व्यक्ति आय 20 रूपये बताया।
- राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र (इकट्ठा) करने के लिए सरकार ने 1951 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) की स्थापना की।
- इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation) सहायता करता है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) :

- राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर लोगों को उपभोग वस्तुएँ और सेवाएँ अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं।
- केवल आय में होने वाली वृद्धि किसी देश की आर्थिक स्थिति को नहीं व्यक्त करती हैं। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाए तो जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता।
- किसी देश का राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है, वह उस देश का प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं।
- प्रति व्यक्ति आय (औसत आय) = राष्ट्रीय आय / कुल जनसंख्या

राष्ट्रीय आय की धारणा (Concept of National Income) :

राष्ट्रीय आय की धारणा को निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

1. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)
2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product)
3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product)

1. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

एक देश की सीमा के अन्दर, एक वर्ष में, उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।

[अन्तिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ – वे सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ जो उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है। इसमें परिवारों द्वारा की गई खरीद (भोजन, वस्त आदि) और पूंजीगत वस्तुएँ (मशीन फर्नीचर एवं परिवहन के लिए गाड़ियाँ इत्यादि) शामिल हैं।]

2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) :

- किसी देश के लोगों द्वारा (चाहे वे अपने देश में हो या विदेश में) एक वर्ष के अन्तर्गत जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद = सकल घरेलु उत्पाद + (देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय – विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय)।

3. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product) :

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश के 'सम्पूर्ण उत्पादन' का मौद्रिक मूल्य है।
- इसके उत्पादन में मशीन, औजार, कारखाने का भवन इत्यादि का एक अंश नष्ट हो जाता है और उनकी समय–समय पर मरम्मत करानी पड़ती है या बदलना पड़ता है। इसे घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय (Depreciation and replacement cost) कहते हैं।
- अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद = सकल राष्ट्रीय उत्पाद – घिसावट एवं प्रतिस्थापन व्यय

राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप (Measurement of National Income) :

राष्ट्रीय आय की गणना तीन प्रकार से की जाती है, जो निम्नलिखित हैं –

1. उत्पादन गणना विधि (Census of Production Method)
2. आय गणना विधि (Census of Income Method)
3. व्यय गणना विधि (Census of Exdpenditure Method)

1. उत्पादन गणना विधि

उत्पादन गणना विधि के अन्तर्गत देश की अर्थव्यवस्था को कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है।

इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अन्तर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा निर्यात (विदेशों को भेजने वाली वस्तु) एवं आयात (विदेशों से आने वाली वस्तु) के अन्तर को जोड़ दिया जाता है।

2. आय गणना विधि

व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस विधि को आय गणना विधि कहते हैं।

3. व्यय गणना विधि

व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय (खर्च) करता है इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ (Difficulties in Measurement of National Income):

1. आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई

पूरे देश में लोगों की आय को उत्पादन के रूप में या उनकी आय के रूप में आँकते हैं। इन्हें एकत्र करना मुश्किल है।

यदि सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हों तो राष्ट्रीय आय की गणना सही नहीं हो सकती।

2. दोहरी गणना की सम्भावना

राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार एक ही आय को दुबारा गिन लिया जाता है।

उदाहरण के लिए एक डॉक्टर की मासिक आय 20,000 रूपये है, जिसमें से वह 5,000 रूपये कम्पाउन्डर को देता है। यहाँ कम्पाउन्डर की आय की पृथक रूप से गणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी गणना डॉक्टर की आय में हो चुकी है।

3. मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव

देश में उत्पादित बहुत सी वस्तुओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय (लेन–देन) नहीं होता है।

कछ वस्तुओं का उत्पादक स्वयं उपभोग कर लेते हैं या उनका अन्य वस्तुओं से लेन–देन किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने में ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन करने में कठिनाई आती है।

4. मूल्य को मापने में कठिनाई

कोई भी वस्तु पहले कारखाने से थोक विक्रेता और इसके बाद खुदरा विक्रेता के पास आता है। प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। अतः इसको मापने में कठिनाई होती है।

विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान (Contribution of National and per Capita Income in Development)

- आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से गहरा सम्बन्ध है।
- विकास का मूल उद्धेश्य राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा देश के लोगों का जीवन–स्तर ऊँचा उठाना है।
- राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अन्दर पूरे वर्ष में हुए उत्पादन को कहते हैं। जैसे–जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, वैसे–वैसे उत्पादन में वृद्धि होगी, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनक जीवन–स्तर पहले की अपेक्षा बेहतर होगा।
- इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्तियों का विकास होगा।

बिहार की आय (Income of Bihar) :

- किसी भी देश या राज्य की आय का मुख्य स्रोत उसकी उत्पादक क्रियाएँ होती हैं।
- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आय में वृद्धि होती है।
- विगत वर्षों के अन्तर्गत बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- द्वितियक अथवा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य की आय में इस क्षेत्र का योगदान काफी कम है।

- वर्त्तमान में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है।
- बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम (सबसे कम) हैं।
- बिहार के कुल 38 जिलों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना एवं न्यूनतम (सबसे कम) प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है।

◆◆◆

अध्याय–3

मुद्रा, बचत एवं साख

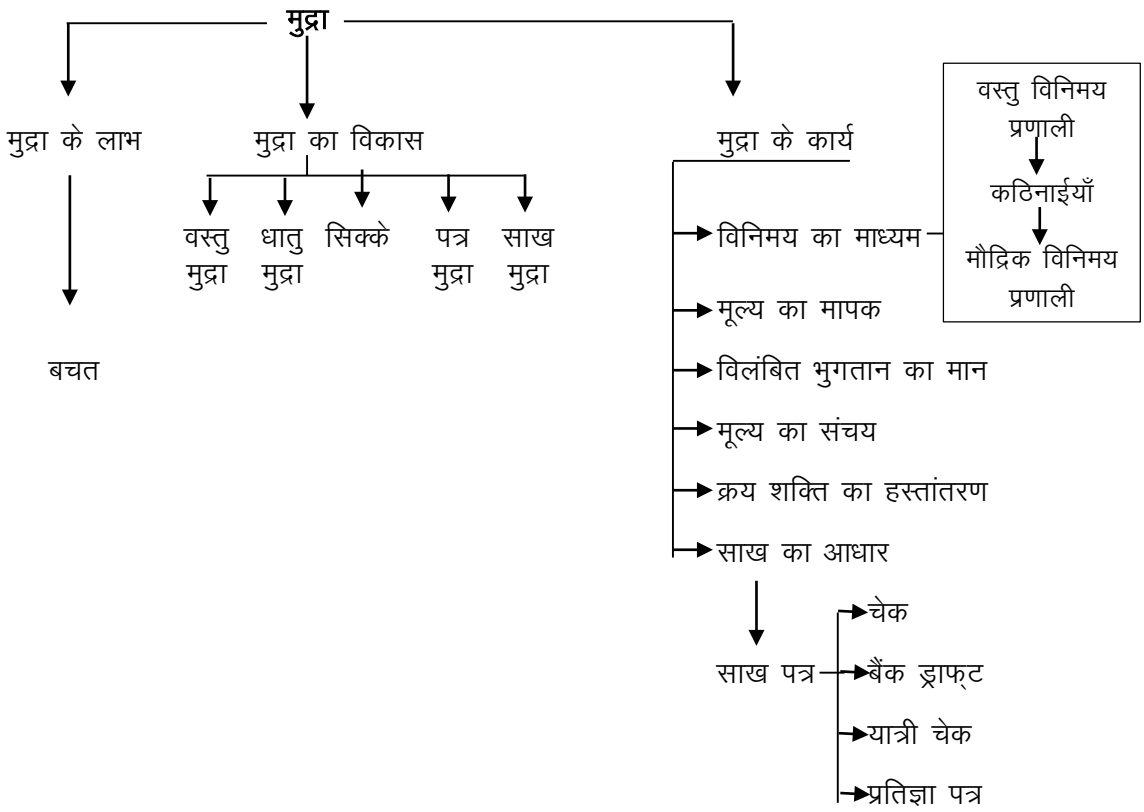

मुद्रा – मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो।

मुद्रा का विकास :

- वस्तु मुद्रा में मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता था। पहले जानवरों के खाल, उसके बाद गाय, बकरी आदि, फिर अनाज।
- इसके बाद धातु मुद्रा के रूप में लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चाँदी आदि का प्रयोग होने लगा। पहले इसका आकार अनिश्चित होता था। फिर बाद में निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए।
- धातुओं की मात्रा सीमित होने के कारण मुद्रा की मांग को पूरा करने में कठिनाई होने लगी। इसलिए धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ।

- कागज से बने होने के कारण इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। उदाहरण – 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रूपये के नोट जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है।
- आधुनिक समय में साख मुद्रा का प्रयोग होने लगा। जैसे चेक, ड्राफ्ट इत्यादि।
- अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देन प्रायः साख मुद्रा द्वारा ही होता है।
- इसके बाद अभी हम प्लास्टिक मुद्रा जैसे – एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि का प्रयोग करते हैं।

मुद्रा के कार्य :

विनिमय का माध्यम : (किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने–बेचने का माध्यम)।

1. **वस्तु विनिमय प्रणाली :** इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम कोई अन्य वस्तु ही होता है।

2. **मौद्रिक विनिमय प्रणाली** :
   इस प्रणाली में किसी वस्तु को खरीदने–बेचने का माध्यम मुद्रा होता है। मुद्रा का रूप अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बदलता रहता है।

मूल्य का मापक :

किसी वस्तु या सेवाओं के मूल्य को मापने में मुद्रा इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा (रूपये, पैसे) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

मूल्य का संचय :

- मनुष्य की वर्त्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताएँ भी महत्वपूर्ण होती हैं।
- मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहता है, जो मुद्रा के द्वारा संभव होता है।

विलम्बित भुगतान का मान :

आधुनिक समय में बहुत से कार्य उधार पर होते हैं, जिनका भुगतान बाद में किया जाता है। यह मुद्रा के कारण संभव होता है।

क्रय शक्ति का हस्तांतरण :

- आर्थिक विकास के साथ–साथ खरीदने–बेचने के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। जिसके कारण दूर–दूर तक खरीद–बिक्री की आवश्यकता पड़ी।
- मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।

साख का आधार :

वर्त्तमान समय में व्यवसाय में बड़े पैमाने पर साख मुद्रा जैसे – चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रयोग होता है। इस साख का आधार मुद्रा होता है। जिस व्यक्ति के पास बैंक में जितनी मुद्रा होगी, उसी के अनुपात में उसका साख होता है।

वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ :

1. **आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव**

   ऐसी परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है, जिसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकताएँ एक दूसरे द्वारा पूरी हों।

2. **मूल्य के सामान्य मापक का अभाव**

   एक वस्तु के बदले या किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, यह तय करना कठिन होता है। अतः मूल्य की माप ठीक ढंग से नहीं हो पाती।

3. **भविष्य के भुगतान में कठिनाई**

   - वस्तुएँ नाशवान होने के कारण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाती।
   - वस्तुओं का संचय करना कठिन होता है।
   - भविष्य में भुगतान के लिए वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता।

4. **मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई**

   वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती है।

5. **मूल्य के संचय का अभाव**

   वस्तुएँ नाशवान होने के कारण उसे संचित नहीं किया जा सकता।

मुद्रा से लाभ :

1. **उपभोक्ता को लाभ**

   - प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है।
   - जिस व्यक्ति के पास अधिक मुद्रा है, वह अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है।

2. **उत्पादक को लाभ**

   - मुद्रा की सहायता से उत्पादक उत्पादन से संबंधित वस्तुओं, जैसे – कच्चा माल खरीदने, मशीन लगाने, मजदूरी देने संबंधी कार्यों को आसानी से कर पाता है।

- उत्पादन लागत, वस्तु का मूल्य एवं लाभ की मात्रा की गणना मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है।

3. मुद्रा और साख

बैंक लोगों की छोटी–छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को उधार देते हैं। इस तरह मुद्रा साख का आधार है।

4. वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को मुद्रा के आविष्कार ने दूर कर दिया।

5. मुद्रा और पूंजी की तरलता

- मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान किया है अर्थात् इसे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से स्वीकार करते हैं।
- इसे भविष्य में किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है।

6. मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता

- पूंजी की गतिशीलता का अर्थ है कि पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।
- बैंकों के साख पत्रों (चेक, ड्राफ्ट इत्यादि) ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफी वृद्धि की है।

7. मुद्रा और पूंजी निर्माण

मुद्रा को बैंक में रखकर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है एवं उद्योग धंधों में निवेश (लगाकर) करके पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है।

8. मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग

मुद्रा के द्वारा बड़े–बड़े उद्योग स्थापित किये जा सके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है।

9. मुद्रा और आर्थिक प्रगति

मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है।

10. मुद्रा और सामाजिक कल्याण

मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है एवं इसी आधार पर सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाता है।

बचत (Saving) :

- प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की कुछ आय होती है। इस आय में से ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर व्यय (खर्च) करता है। इसे उपभोग व्यय कहते हैं।
- उपभोग पर व्यय करने के बाद आय की जो राशि बच जाती है, उसे बचत कहते हैं। अर्थात्, बचत = आय – उपयोग पर किया गया व्यय।
- इस बचत का उपयोग विनियोग पर किया जाता है।

साख :

- साख का अर्थ है – विश्वास या भरोसा
- जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास किया जाता है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है।
- अर्थशास्त्र मे ंसाख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होता है।

साख का आधार :

1. विश्वास – साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है, जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी (कर्ज लेने वाला) समय पर रूपये लौटा देगा।
2. चरित्र – ऋणी का चरित्र या व्यवहार भी साख का आधार होता है।
3. चुकाने की क्षमता – व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता भी साख का आधार होता है।
4. पूंजी एवं संपत्ति – ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है।
5. ऋण की अवधि – ऋणदाता दीर्घकाल (लम्बे समय) के लिए ऋण देने में घबराते हैं।

साख पत्र :

1. **चेक –** एक प्रकार का लिखित आदेश जो बैंक में रूपये जमा करने वाला देता है कि उसमें लिखित राशि लिखित व्यक्ति को दे दी जाए।
2. **बैंक ड्राफ्ट –** एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक को दिया गया पत्र, जिसमें लिखी हुई रकम अंकित व्यक्ति को दी जाती है।
3. **यात्री चेक –** यात्रियों की सुविधा के लिए दिया गया चेक, जिसे किसी भी बैंक से लिया जा सकता है।
4. **प्रतिज्ञा पत्र –** ऐसा पत्र, जिसमें अंकित रकम ब्याज सहित निश्चित अवधि में लौटाई जाय।

◆◆◆

अध्याय – 4

हमारी वित्तीय संस्थाएँ

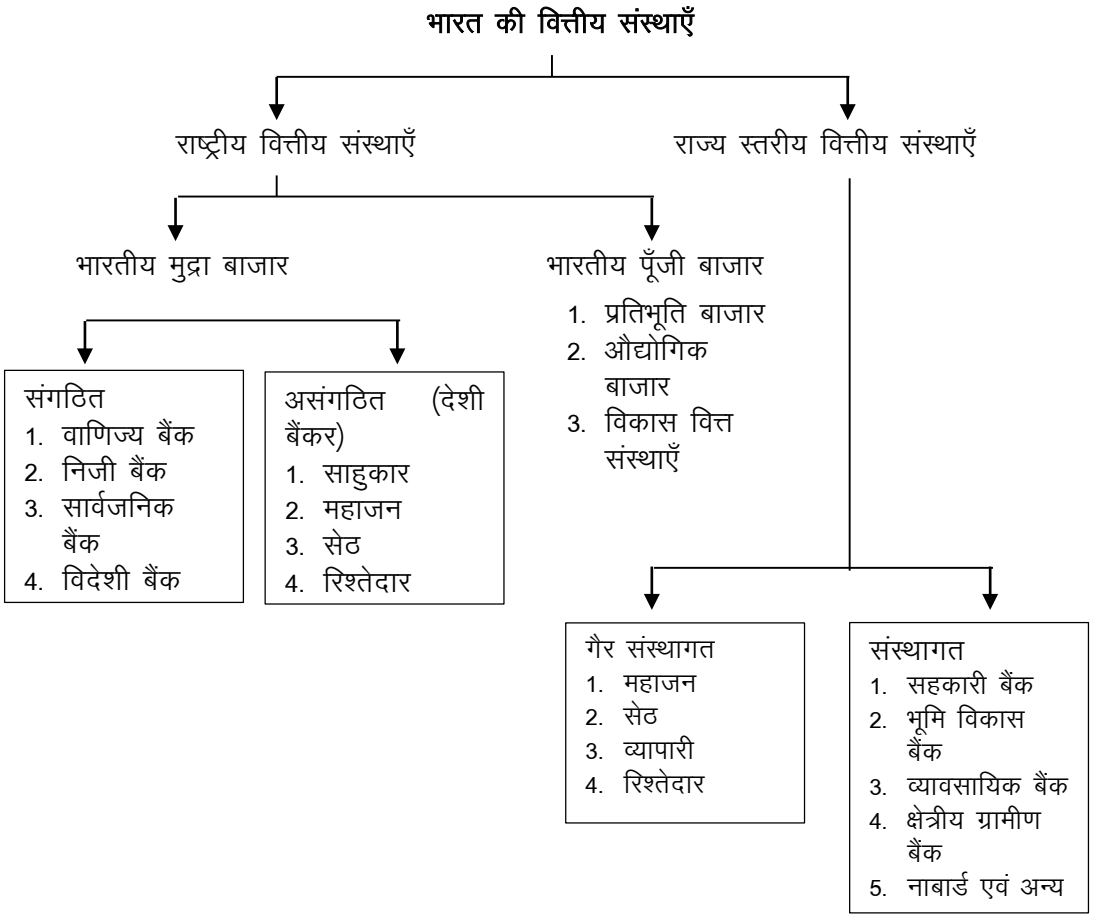

वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) :

- वित्त से अभिप्राय कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पूँजी से है।
- उत्पादन में पूँजी की आवश्यकता दिन–प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पूँजीगत वस्तुएँ खरीदने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए एवं कच्चा माल खरीदने के लिए होती है।
- वित्त की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाएँ वित्तीय संस्थाएँ कहलाती हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ (National Financial Institutions) :

ऐसी वित्तीय संस्थाएँ जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबन्ध करती हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ कहलाती हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं :

1. **भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)**
    - ऐसा मौद्रिक बाजार जहाँ उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है।
    - भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
    - संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक आते हैं।
    - असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत देशी बैंकर आते हैं। उन्हें देश के विभिन्न भागों में साहूकार, महाजन, सेठ, सर्राफ इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) : यह देश का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ई0 को हुई थी।

- यह देश की सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है।
- व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यवसाय को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है।
- हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ई0 में देश के प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका अर्थ यह है कि बैंक अब सरकार के नियंत्रण में काम करेगी।
- इसका मुख्य उद्धेश्य समाज के पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Bank) :

कुछ ऐसे भी वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र में है। ऐसे बैंक जिनके नाम के अन्त में सीमित दायित्व (Ltd.) जुड़ा होता है, वे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank)

- ऐसे बैंक जिनका 50% से अधिक हिस्सा (share) सरकार रखती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं।
- वर्त्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 27 बैंक हैं। जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और इससे सम्बद्धता प्राप्त बैंक और 2 बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) एवं भारतीय महिला बैंक हैं।

विदेशी बैंक (Foreign Bank) :

एक प्रकार का विदेशी बैंक जो अपना एवं मेजबान देशों के नियमन का पालन करता है।

असंगठित क्षेत्र :

- भारत में ग्रामीण साख का एक बड़ा भाग अभी भी देशी बैंकरों से लिया जाता है।
- व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण परिवारों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का लगभग आधा भाग ही पूरा कर पाती हैं।
- इसकी शेष आवश्यकताएँ साहुकार, महाजन, सेठ, सर्राफ से पूरी होती हैं।
- ये ग्रामीण परिवारों को ब्याज की ऊँची दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, तथा कई प्रकार से उनका शोषण करते हैं।

2. भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market) :

भारतीय पूँजी बाजार में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन (5 वर्ष से अधिक की अवधि तक) वित्त की व्यवस्था की जाती है।
भारतीय पूँजी बाजार मूलतः तीन वित्तीय संस्थानों पर आधारित हैं :–

1. **प्रतिभूति बाजार :** प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। इसका सम्बन्ध कम्पनियों के नए हिस्सों (Shares) को जारी करना है।
2. **औद्योगिक बाजार :** औद्योगिक बाजार को द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है, तथा इसे स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) अथवा शेयर बाजार (Share Mareket) भी कहतेहैं। इस बाजार में संयुक्त पूँजी कम्पनी के वर्त्तमान हिस्सों (Shares) और ऋणपत्रों (Bonds or Debentures) का क्रय–विक्रय होता है।
3. **विकास वित्त संस्थाएँ :**
    - कृषि उद्योग के दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से देश में कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई है।
    - कृषि साख की दृष्टि से इनमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD) सबसे प्रमुख हैं।
    - उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन साख प्रदान करनेवाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।
    - वित्तीय संस्थाएँ किसी भी देश का मेरूदण्ड (Back bone) माना जाता है।
    - मुम्बई देश की वित्तीय गतिविधियों का केन्द्र है तथा यहाँ का पूँजी बाजार एक अत्यन्त सुसंगठित बाजार है। यही कारण है कि यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से विख्यात है।
    - मुम्बई का शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट (Dalal Street) में स्थित है, जिसके माध्यम से पूँजी बाजार का संचालन होता है।

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ

बिहार में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है।

गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ

- इसमें महाजन, भू–स्वामी, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि शामिल हैं, जो साख के परम्परागत स्त्रोत हैं। इनसे ऋण प्राप्त करना सबसे सरल है।
- ग्रामीण लोग उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इसके लिए ब्याज की ऊँची दर का भुगतान करना पड़ता है।
- इन संस्थाओं पर सरकार कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है।

संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ

1. **सहकारी बैंक (Co-operative Bank) :**
   बिहार राज्य में सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख व्यवस्था तीन स्तरीय है।
   - A. **प्राथमिक कृषि सरकारी साख समितियाँ (Primary Agriculture Co-perative Credit Societies) :** इसमें किसी गाँव के कम से कम दस व्यक्ति मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं।
     जो कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण (एक वर्ष) उपलब्ध कराते हैं। विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
   - B. **केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank) :** यह जिला स्तर का बैंक है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को समर्थन देती है।
   - C. **राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Bank) :** यह राज्य स्तर का बैंक है, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऊपर होते हैं।
     RBI सर्वप्रथम पैसा राज्य सहकारी बैंकों को देता है। राज्य सहकारी बैंक पैसा केन्द्रीय सहकारी बैंक को और केन्द्रीय सहकारी बैंक पैसा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को देता है। PACCS किसानों को ऋण देती है।

2. **भूमि विकास बैंक (Land Developmet Bank) :**
   - इस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 ई0 में की गई।
   - यह बैंक किसान की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरा करता है।
   - यह बैंक किसान के भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए ऋण देता है।
   - ऋण उचित ब्याज दर पर 15–20 वर्षों के लिए दिया जाता है।
   - इनमें दो स्तर के बैंक होते हैं –
   - प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं।
   - राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक है।

3. **व्यावसायिक बैंक (Commercial Bank):**
    - 1969 ई0 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि के क्षेत्र में ऋण की मात्रा बढ़ी है।
    - यह बैंक विभिन्न अवधियों के लिए ऋण देती है।
    - अधिकतर ऋण अल्पकालीन होते हैं। इसके अतिरिक्त पम्पसेट, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, पशु, हल खरीदने, कुंओं के निर्माण, भूमि सुधार आदि के लिए मध्यकालीन ऋण भी देते हैं।

4. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) :**
    - इस बैंक की स्थापना 1975 ई0 में की गई।
    - इसका उद्धेश्य छोटे व सीमान्त किसानों, कारीगरों व छोटे उद्यमकर्त्ता को ऋण तथा जमा सुविधाएँ दिलवाना है।
    - प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है।
    - भारत के 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

5. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) :**
    - इस बैंक की स्थापना 1982 ई0 में की गई।
    - यह बैंक राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और RBI से मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है।
    - यह कृषि कार्यों के अतिरिक्त इससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए भी ऋण देता है।
    - यह कृषि व ग्रामीण विकास में अनुसंधान (Research) को भी बढ़ाता है।

व्यावसायिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks) :

किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. **जमा स्वीकार करना (Accepting Deposits)**
    - समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। इस धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों के पास जमा कर देते हैं, जिसपर उन्हें ब्याज मिलता है।
    - व्यावसायिक बैंक प्रायः चार प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं।

    (i) स्थायी जमा (Fixed Deposits)

    - इस खाता में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करते हैं।

- सामान्यतः एक निश्चित अवधि के पूर्व इस खाते से रकम वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए इसे सावधि जमा (time deposits) भी कहते हैं। ऐसी जमा परब्याज की दर ऊँची रहती है।

(ii) चालू जमा (Current Deposits)

- इस प्रकार के खाते में धन जमा करने या निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता।
- इसमें जमाकर्त्ता इच्छानुसार कभी भी रूपये जमा कर सकता है या निकाल सकता है। अतः चालू जमा को 'माँग जमा' (demand deposits) भी कहते हैं।

(iii) संचयी जमा (Saving deposits)

- इस प्रकार की जमा मुख्यतः मध्यमवर्ग की सुविधा के लिए होती है।
- इस खाते में रूपये जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता, लेकिन रूपये निकालने पर कुछ प्रतिबन्ध होता है। इस जमा पर ब्याज की दर स्थायी जमा से कम होती है।

(iv) आवर्त्ती जमा (Recurring Deposits)

- इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह एक निश्चित रकम जमा की जाती है।
- इस अवधि के समाप्त होने के बाद यह रकम जमाकर्त्ता को ब्याज के साथ अदा कर दी जाती है।

2. ऋण प्रदान करना (Providing Loans)

ऋण या कर्ज देना व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है।

बैंक निम्नलिखित तरीकों द्वारा ऋण प्रदान करते हैं :–

(i) अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण (Loans at call and short notice)

इस प्रकार का ऋण अतिअल्पकाल यानि एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक के लिए दिया जाता है।

(ii) अधिविकर्ष (Overdraft)

इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है।

जमा राशि से अधिक रकम निकालने पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है।

(iii) नकद साख (Cash Credit)

जब व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल आदि की जमानत पर ऋण देता है तो उसे नकद साख कहते है।

(iv) ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances)

जब बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं।

इस प्रकार के ऋण आभूषण स्थायी जमा की रसीदों की जमानत पर लिए जा सकते हैं।

(v) विनिमय बिलों का भुगतान (Discounting of Bills of Exchange)

व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी व्यापारियों को ऋण देते हैं।

3. एजेंसी सम्बन्धी कार्य (Agency Functions) :

व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का कार्य करता है, जो निम्नलिखित हैं–

(i) ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना (To receive payment for customers)

बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराया इत्यादि का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे उनके चेक तथा अन्य बिलों को एकत्र कर उनके खाते में जमा कर देते हैं। इस कार्य के लिए वे ग्राहकों से कमीशन लेते हैं।

(ii) ग्राहकों की ओर से भुगतान करना (To make payment for customers)

बैंक ग्राहकों की ओर से बीमे की किस्त, कर, ऋण तथा ब्याज इत्यादि का भुगतान भी करते हैं।

(iii) प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय (Sale and Purchase of Securities)

व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार प्रतिभूतियों, अंशपत्रों आदि का क्रय–विक्रय करते हैं।

(iv) प्रतिनिधि का कार्य (Agency Function)

बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उनकी सम्पत्ति की देखभाल, प्रबन्धन आदि का कार्य भी करते हैं।

4. सामान्य उपयोगिता सम्बन्धी कार्य (General Utility Functions) :

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं, जिन्हें सामान्य उपयोगिता सम्बन्धी कार्य कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं :–

(i) मुद्रा का स्थानांतरण (Transfer of Money)

बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए ड्राफ्ट (Draft) आदि के द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं।

(ii) साख पत्र तथा यात्री चेक जारी करना (To issue letters of credit and travellers cheque)

- व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के लिए साख प्रमाण पत्र (Letters of Credit) एवं यात्री चेक (Travellers cheque) जारी करते हैं।
- साख प्रमाण पत्र विदेशी व्यापार में सहायक होते हैं, तथा इनके आधार पर व्यापारियों को अपरिचित व्यक्तियों से भी उधार मिल जाता है।

- यात्री चेक द्वारा यात्रियों को नकद मुद्रा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(iii) बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षण (Safe custody of valuables)

बैंक अपने ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं (आभूषण, दस्तावेज इत्यादि) को अपने यहाँ लॉकर में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(iv) ए0टी0एम0 एवे क्रेडिट कार्ड सुविधा (ATM and Credit Card facility)

आधुनिक समय में शहरों में व्यावसायिक बैंक ए0 टी0 एम0 और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

सहकारिता (Cooperation) :

- सहकारिता का अर्थ 'एक साथ मिलजुलकर कार्य करना' है।
- 'सहकारिता वह संगठन है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिल जुलकर कार्य करते है। ।
- इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्धेश्य की पूर्त्ति के लिए कार्य करते हैं।

मूलभूत तत्त्व :

इसके मुख्यतः तीन आधारभूत सिद्धान्त हैं :

1. लोग अपने इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं।
2. इसके सदस्यों के बीच पूँजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबको एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं।
3. यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के सुख–समृद्धि को बढ़ाना है।

भारत में सहकारिता का विकास (Development of Co-operation in India) :

- भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ई0 में सहकारी साख समिति अधिनियम (Cooperative Credit Societies Act) पारित होने के साथ हुआ।
- इसके अनुसार गाँव या नगर में कोई भी दस व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है।
- इस अधिनियम का मुख्य दोष यह था कि इसमें गैर–साख समितियों के स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- 1912 ई0 में दूसरा अधिनियम पारित कर देश कें गैर–साख समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की गई।
- सहकारिता की प्रगति के मूल्यांकन तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने हेतु सरकार ने 1914 ई0 में मेक्लेगन समिति की नियुक्ति की।

- 1919 ई0 में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया। इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया।
- 1929–30 की मंदी का सहकारिता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- 1937 ई0 में RBI के अधीन खोले गए कृषि साख विभाग (Agriculture Credit Department) का कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करना था।

राज्य के विकास में भूमिका (Role in the Development of the state) :

- बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है।
- यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों निवास करती है।
- इसका एक बड़ा भाग निर्धनता (गरीबी) रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है।
- बिहार के कुटीर एवं लघु उद्योगों में सहकारिता की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
- इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है।
- विगत वर्षों में बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ (कॉम्फेड) दुग्ध उद्योग में बहुत सफल हुआ है।
- यह सहकारी संघ सुधा ब्रांड नाम से दूध और दुग्ध उत्पादों का विक्रय करती है।

स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group)

- स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15–20 व्यक्तियों (खासकर महिलाओं) का एक समूह होता है।
- ये सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं। बचत से ही इनकी पूँजी का निर्माण होता है।
- सदस्य अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे–मोटे कर्ज इस स्वयं सहायता समूह से ही ले सकते है।
- यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो एक–दो वर्ष बाद वह किसी बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है।
- बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है तथा इसका उद्धेश्य स्वरोजगार में वृद्धि करना होता है।
- समूह द्वारा अपने सदस्यों की बंधक जमीन को छुड़ाने, बीज, खाद आदि आवश्यकताओं को पूरा करने, गृह निर्माण, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि सम्पत्ति खरीदने के लिए छोटे–छोटे ऋण दिए जाते हैं।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की रकम, ब्याज की दर, ऋण अदायगी की अवधि इत्यादि बातों का निर्माण समूह के द्वारा ही लिया जाता है।
- इन ऋणों को लौटाने का दायित्व भी समूह का होता है।

सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Planning) :

- इस योजना के द्वारा गाँव, कस्बा और जिलो में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक तथा सहकारी बैंकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
- इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

अध्याय–5

रोजगार और सेवाएँ

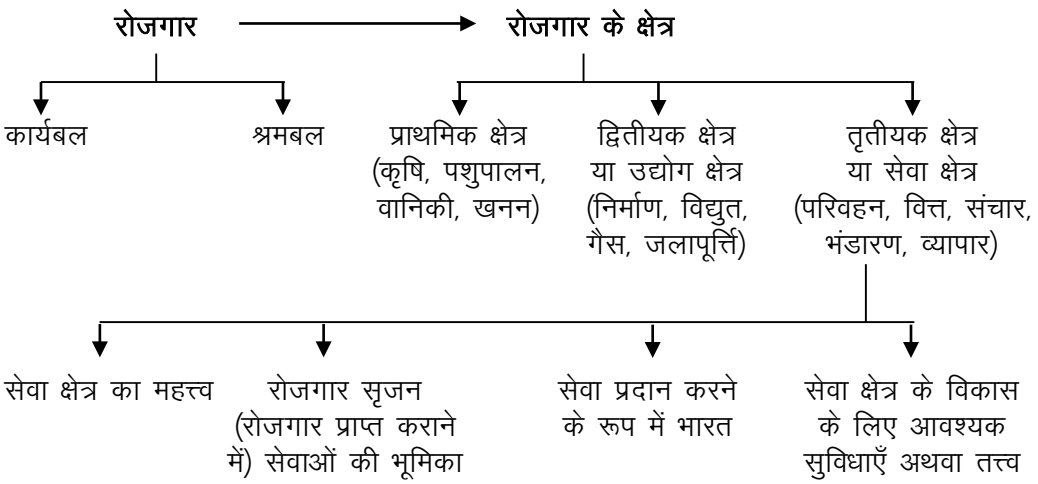

रोजगार :

- श्रमबल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो काम कर सकते हैं तथा काम करने को इच्छुक हैं।
- उत्पादक क्रियाओं में वास्तव रूप से लगी कार्यशील जनसंख्या को कार्यबल कहा जाता है।
- श्रमबल तथा कार्यबल के अंतर को रोजगार श्रमबल कहते हैं।
- बेरोजगार श्रमबल के अंतर्गत बच्चे, बूढ़े, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आते हैं।

रोजगार के क्षेत्र :

इसके तीन क्षेत्र होते हैं –

1. प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन इत्यादि)
2. द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्त्ति)
3. तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र (परिवहन, वित्त, संचार, भंडार, व्यापार)

सेवा क्षेत्र का महत्त्व

- इससे अर्थव्यवस्था की आधार संरचना या संरचनात्मक सुविधा का निर्माण होता है। जिससे कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ती है।
- संरचनात्मक सुविधाओं में सड़क, बिजली, पानी, संचार इत्यादि को रखा जाता है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है।

रोजगार–सृजन में (रोजगार प्राप्त कराने में) सेवाओं की भूमिका :

- सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, वित्त, संचार, विपणन (बाजार की व्यवस्था), व्यापार के अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी रखा जाता है।
- परिवहन (आवागमन के साधन) सेवाओं में रेलवे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
- सुरक्षा सेवा के बाद रेलवे देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है।
- वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं में बैंकिंग एवं बीमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

संचार सेवाएँ :

- ऐसे साधन जिसके माध्यम से विभिन्न स्थान के निवासियों के बीच विचारों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान हाता है। जैसे – समाचार पत्र, डाक सेवा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, फैक्स इत्यादि।
- टेलीफोन के साथ कम्प्यूटर के जुड़ने से इंटरनेट सेवाओं में प्रगति हुई।

कम्प्यूटर के दो अंग होते हैं :

(i) सॉफ्टवेयर (प्रोग्राम, आंकड़ों को संकलित, नियंत्रित एवं संचित करने के लिए)।
(ii) हार्डवेयर (कम्प्यूटर का भौतिक भाग, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं)।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग श्रम–प्रधान है, तथा भारत इसके उत्पादन में अग्रणी देश माना जाने लगा है। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएँ हैं।

सेवा प्रदान करने के रूप में भारत :

- हमारे देश के निवासी विकसित देशों में जाकर अपनी सेवाएँ देते हैं।
- विकसित देशों में युवा श्रमशक्ति का अभाव है। इसी कारण ये प्रशिक्षित श्रम को विकासशील देशों से आकृष्ट करते हैं।

आउटसोर्सिंग :

- जब कोई कम्पनी या उत्पादक अपने उत्पादन से संबंधित सेवाओं को अन्य श्रोतों से प्राप्त करती है तो इसे आउटसोर्सिंग की संज्ञा दी जाती है। जैसे – विदेशी फर्म द्वारा अपनी पुस्तक के डिजाइन, छपाई का कार्य हमारे देश में करवाना।
- भारत में लेखाकरण, आंकड़ा प्रविष्टि, इंजीनियरिंग, चिकित्सकीय, कानूनी एवं प्रबंधकीय परामर्श जैसी अन्य सेवाओं का निर्यात किया जाता है।

सेवा के क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएँ अथवा तत्त्व :

योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम के विकास के लिए निम्नलिखित सेवाएँ अथवा सुविधाएँ महत्वपूर्ण हैं:

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (रोग नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्था)
2. आवास (पानी, बिजली, मल–व्यवस्था जैसी सुविधाओं के साथ रहने की व्यवस्था)
3. स्वच्छता (नालियों एवं कूड़े की सफाई इत्यादि) की व्यवस्था।
4. जलापूर्त्ति (स्वच्छ पेयजल की सुविधा)
5. शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था)

◆◆◆

अध्याय–6

वैश्वीकरण

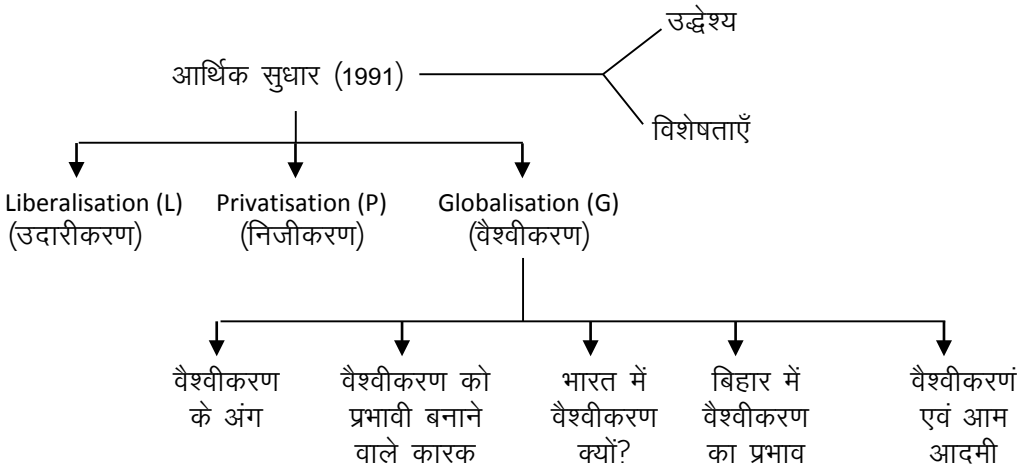

आर्थिक सुधार (1991)

- आर्थिक सुधार का अर्थ है पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाकर सामाजिक–आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना।
- सन् 1991 में भारत के वित्तमंत्री के रूप में डॉ0 मनमोहन सिंह के प्रयास से LPG की नीति अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनायी गई, जिससे भारत में अनेक आर्थिक प्रगति हुई।

आर्थिक सुधार नीतियों की मुख्य विशेषताएँ थी :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना
(ii) औद्योगिक नीति को उदार बनाना
(iii) भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना

आर्थिक सुधार के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

(i) आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना
(ii) आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार
(iv) उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।

उदारीकरण

- वैसी प्रक्रिया, जिसमें सरकारी नियंत्रण को कम किया जाता है।
- लाइसेंस–परमिट राज समाप्त करके उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा उत्पादकों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निजीकरण :

- वैसी प्रक्रिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बदले निजी क्षेत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्त्व पूर्णतः या अंशतः निजी क्षेत्र को दिया जाता है।

वैश्वीकरण :

- वह प्रक्रिया, जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है।
- भौगोलिक सीमा समाप्त हो जाती है तथा वस्तुओं के साथ–साथ पूँजी, तकनीक एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रूकावट के प्रवाह होता है।

वैश्वीकरण के प्रमुख अंग :

- पूँजी की पूर्ण परिवर्त्तनशीलता अर्थात् निर्यात द्वारा प्राप्त अर्जित विदेशी पूँजी को बाजार में बेच सकना।
- पूँजी का स्वतंत्र प्रवाह अर्थात् भारतीय पूँजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं, तथा विदेशी पूँजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं।

तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह

- श्रम का स्वतंत्र प्रवाह
- व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी।

वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक :

- तकनीकी प्रगति में परिवर्त्तन
- उदारवादी नीतियाँ
- प्रतिस्पर्द्धा

भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता

भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जहाँ एक उन्नत बाजार उपलब्ध है। जहाँ उपभोक्ताओं का एक विशाल समूह मौजूद है। भारत में वैश्वीकरण का समर्थन निम्न कारणों से किया जाता है –

(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु
(ii) अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हेतु
(iii) उत्पादन के स्तर को उन्नत करने हेतु
(iv) नयी प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक
(v) मानवीय पूँजी की क्षमता का विकास
(vi) प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि
(vii) नये बाजार तक पहुँच

बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव :

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में कहा था – ''देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है।'' वैश्वीकरण के वर्त्तमान युग में उत्पादन एवं उपभोग

के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है, जिसके सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहे हैं। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। परन्तु सकारात्मक प्रभाव का पलड़ा अधिक भारी है।

बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि
2. निर्यातों में वृद्धि
3. विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रगति प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन
5. विश्वस्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता
6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि
7. बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन

बिहार में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव

1. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा
2. कुटीर एवं लघु उद्योग पर विरीत प्रभाव
3. रोजगार पर विपरीत प्रभाव
4. आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश

वैश्वीकरण एवं आम आदमी

आम आदमी से तात्पर्य समाज के वैसे वर्ग–समूह से है जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। जो समाज उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात् जहाँ एक ओर विदेशी पूँजी का बड़ी मात्रा में आयात होने लगा है, वहीं बड़ी–बड़ी कंपनियाँ अपने उद्योग का केन्द्र सस्ते श्रम शक्ति की मौजूदगी के कारण भारत जेसे देश में बनाने लगे हैं। मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्न प्रभाव पड़ा है। :

अच्छा प्रभाव	बुरा प्रभाव
1. रोजगार की बढ़ी संभावना 2. आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता 3. उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता	1. सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका 2. उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुयी प्रतियोगिता 3. श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव 4. मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई 5. कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट

विश्व व्यापार संगठन (W. T. O.) : विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी, जिसका उद्धेश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। W.T.O. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो।

निवेश : अर्थशास्त्र में परिसंपत्तियों, जैसे – भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गयी मुद्रा निवेश कहलाती है।

मॉल : इसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं, उसे मॉल कहते हैं।

व्यापार अवरोधक : सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए करती है।

◆◆◆

अध्याय–7

उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण

उपभोक्ता जागरण → उपभोक्ता शोषण के कारक → उपभोक्ता संरक्षण

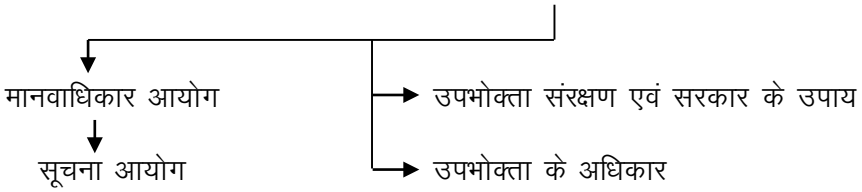

उपभोक्ता जागरण :

- व्यक्ति जब कोई वस्तु या सेवा अपने उपभोग या उपयोग के लिए खरीदता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है।
- **उत्पादक या विक्रेता :** जब उपभोक्ताओं (खरीदने वालों को) को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उपभोक्ताओं में असंतोष होता है और वे शोषित महसूस करते हैं।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस – 15 मार्च को मनाया जाता है।
- देश में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं। इसी दृष्टि से 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) पारित किया गया, जिसे संक्षेप में कोपरा (COPRA) कहते हैं।

उपभोक्ता शोषण के कारक :

उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं :

- महंगी वस्तुओं में अन्य चीजों का मिलावट
- वस्तुओं के माप में हेरा–फेरी
- अच्छी वस्तुओं के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देना
- ऊँची कीमते वसूल करना
- डुप्लीकेट (जाली) वस्तुएँ प्रदान करना इत्यादि।

उपभोक्ता संरक्षण :

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा तीन प्रकार के उपाय किये गये हैं :–

1. **कानूनी उपाय :**
   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986) [COPRA]
   त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र – (i) राष्ट्रीय आयोग (देश स्तर पर) (ii) राज्य आयोग (राज्य स्तर पर) (iii) जिला फोरम (जिला स्तर पर)
2. प्रशासनिक उपाय (सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे – चावल, गेहूँ, चीनी, किरोसिन इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना)
3. तकनीकी उपाय (उत्पादों या वस्तुओं की गुणवत्ता की जाँच कर मानक निर्धारित करना)

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards Institutions, BIS) :

- इसे जिसे पहले भारतीय मानक संस्थान (Indian Standards Institutions, ISI) के नाम से जाना जाता था।
- इसका मुख्य कार्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मानक तैयार कर प्रमाणन योजना चलाना है।
- औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ISI मार्क का प्रयोग होता है।
- कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क का प्रयोग होता है।
- सोने और जेवरों को हॉलमार्क से पहचाना जाता है।

उपभोक्ता के अधिकार :

उपभेक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिये गये हैं। वे हैं '–

1. सुरक्षा का अधिकार (वस्तुओं या सेवाओं से शरीर या संपत्ति को हानि से बचाने के लिए यह अधिकार दिया गया है)।
2. सूचना पाने का अधिकार (वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते समय उससे संबंधित जानकारी, जैसे – मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता, अवयवों की सूची इत्यादि)
3. चुनाव या पसन्द करने का अधिकार (वस्तुओं के ब्रांड, किस्म, गुण, रंग इत्यादि पसन्द करने का अधिकार)
4. क्षतिपूर्त्ति का अधिकार (खरीदी गई वस्तु ठीक ढंग की नहीं होने पर उपभोक्ता को मुआवजे या क्षतिपूर्त्ति का अधिकार)
5. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (धोखाधड़ी से बचने के लिए एवं एक सजग उपभोक्ता बनने के लिए शिक्षा का अधिकार)

शिकायत कहाँ करें?

1. जिला फोरम : यदि क्षतिपूर्त्ति की राशि 20 लाख रूपये तक हो।
2. राज्य आयोग : यदि क्षतिपूर्त्ति की राशि 20 लाख से 1 करोड़ तक हो
3. राष्ट्रीय आयोग : यदि क्षतिपूर्त्ति की राशि 1 करोड़ से अधिक हो

मानवाधिकार आयोग :

- यह राष्ट्रीय स्तर की उच्चतम संस्था है।
- यह मानवीय अधिकारों की रक्षा एवं उनके हितों की सुरक्षा प्रदान करती है।

सूचना आयोग :

- उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित सूचना प्राप्त कराने के लिए गठित आयोग।
- राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग।
- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग।

◆◆◆